

Form No. III
फर्द—अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़

जयंत कुन्थुनाथ

बनाम

वर्धमान वगैराह

कार्यवाही अन्तर्गत :- नियम 14(04) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970

किस्म मुकदमा

राजस्व प्रार्थना-पत्र

नं०

027

सन्

2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण की तलबी लौट कर प्राप्त नहीं। प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार से पत्रांक/अभिलेखागार/2024/56 दिनांक 14.05.2024 से मूल अभिलेख प्राप्त हुई है जो की पत्रावली के हम किता हैं रिकार्ड पर लिया जाता है। पत्रावली के हम किता रहें। अप्रार्थी संख्या 3 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आयें। प्रार्थी स्वयं हाजिर। हाजिर प्रार्थी की पहचान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई। हाजिर वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपना प्रार्थना-पत्र नहीं चलाना चाहता है, अतः प्रार्थना-पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली रिकार्ड पर लिया जाता है शामिल पत्रावली रहें। इस पर हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र बाबत् कार्यवाही विद्घो पर सुना गया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना-पत्र बाबत् कार्यवाही विद्घो का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन-मनन किया। हस्तगत प्रकरण प्राथमिक स्तर पर ही विचाराधीन है प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी होना शेष है एवं प्रार्थी स्वयं अपना प्रार्थना-पत्र नहीं चलाना चाहता है, ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थना-पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार को मूल अभिलेख मय अहकाम की प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़
15.05.2024

